आवंटन
अनुदान सं0–81 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक 251500796010120

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त, जिला पंचायत राज अधिकारी
(जनपद इलाहाबाद, बांदा, बरेली, बदायूँ, बुलन्दशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, जालौन, जे0पी0 नगर, कन्नौज, कांशीरामनगर, कौशाम्बी, ललितपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर तथा शाहजहांपुर को छोड़कर)।

संख्याः1/शा0/211/2012–1/181/2011, लखनऊः दिनॉक 30 मार्च, 2012
विषयःकेन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान–81 के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किया जाने के समन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–815/26–ब0प्र0–2010–100(42)/2010 ,दिनॉक 24–11–2011 एवं शासनादेश सं0–106/26–ब0प्र0–2012–100(16)/2011, दिनांक 29मार्च, 2012 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–81 के उपर्युक्त योजनान्तर्गत प्राविधानिक धनराशि रू0–22.50 लाख में से राज्यांश के मद में धनराशि **रू0–11.24 लाख (रूपया– ग्यारह लाख चौबीस हजार मात्र)** जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार सम्बन्धित जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है।

1– आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एकमुश्त आहरित नही की जाएगी।

2– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बी0–1–951/दस–2010–231/2011 दिनांक 21.03.2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/ जनपदवार आवंटित केंद्राश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

4– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेंन्ट)मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सीयल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित टी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थीयों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

6– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2011–12 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

7– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011– 12 के अनुदान संख्या–81 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम–796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101– ग्रामीण स्वच्छता कार्यकम के कियान्वयन हेतु अनुदान (जिला योजना)– भारत सरकार की सहायता राज्यांश–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायगा।

कृ0पृ0उ0

81 Allot.01-12-2011

8– शासकीय व्यय में मितव्यता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्यता के सम्बन्ध में वित्त संशाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रुप से पालन किया जायेगा।

9– जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

10– किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होगें। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, बाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को तत्काल उपलब्ध करायी जाये। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायगा।

12– उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा

13– प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–09 पर अंकित है।

संलग्न–उक्तवत्।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्या:–1/शा0/211/1/2012, तददिनॉक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,लेखा आडिट (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश, सत्यनिष्ठा भवन, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
4– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी उ0प्र0।
5– संबंधित जनपदों के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उ0प्र0।
6– संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।
7– उपनिदेशक (पं0) (प्रथम) पचायती राज, निदेशालय उ0प्र0।
8– विशेष सचिव वित्त ((व्यय–नियंत्रण) अनु0–3/वित्त बजट अनु0–2 उ0प्र0 शासन।
9– विशेष सचिव समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन।
10– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(मो0 मुस्तफा अन्सारी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

पत्र संख्या–1/शा/211/2012–1/181/2011, दिनांक 30 मार्च, 2012 का संलग्नक

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुसूचित जनजातियों हेतु राज्यांश का आवंटन

(धनराशि लाख रूपयें में)

अनुदान संख्या–81

क्र.सं.	जनपद का नाम	भारत सरकार के पत्र संख्याः डब्लू–11023/01/2011–सी.आर.एस.पी. दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष वांछित राज्यांश की धनराशि का आवंटन	कोषागार को प्रगामी योग
1	2	3	4	5
1	आगरा	0.34	0.15	**0.15**
2	अलीगढ़	0.26	0.11	**0.11**
3	इलाहाबाद	0	0.00	**0.00**
4	अम्बेडकर नगर	0.52	0.23	**0.23**
5	औरैया	0.2	0.09	**0.09**
6	आजमगढ़	0.39	0.17	**0.17**
7	बागपत	0.08	0.03	**0.03**
8	बहराइच	3.72	1.60	**1.60**
9	बलिया	0.57	0.25	**0.25**
10	बलरामपुर	0.25	0.11	**0.11**
11	बांदा	0	0.00	**0.00**
12	बाराबंकी	0.22	0.10	**0.10**
13	बरेली	0	0.00	**0.00**
14	बस्ती	0.47	0.20	**0.20**
15	बिजनौर	0.2	0.09	**0.09**
16	बदायूँ	0.01	0.00	**0.00**
17	बुलन्दशहर	0	0.00	**0.00**
18	चन्दौली	0.09	0.04	**0.04**
19	चित्रकूट	0	0.00	**0.00**
20	देवरिया	1.29	0.56	**0.56**
21	एटा	0	0.00	**0.00**
22	इटावा	0	0.00	**0.00**
23	फैजाबाद	0.11	0.05	**0.05**
24	फर्रूखाबाद	0.	0.00	**0.00**
25	फतेहपुर	0.34	0.15	**0.15**
26	फिरोजाबाद	0	0.00	**0.00**
27	गौतमबुद्धनगर	0.14	0.06	**0.06**
28	गाजियाबाद	0	0.00	**0.00**
29	गाजीपुर	0.46	0.20	**0.20**
30	गोण्डा	0.39	0.17	**0.17**
31	गोरखपुर	0.42	0.18	**0.18**
32	हमीरपुर	0	0.00	**0.00**
33	हरदोई	0.78	0.34	**0.34**
34	जालौन	0	0.00	**0.00**
35	जौनपुर	0.56	0.24	**0.24**
36	झांसी	0.02	0.01	**0.01**
37	ज्योतिबाफुले नगर	0	0.00	**0.00**

Alot. TSC (State share) 2011-12

अनुदान संख्या–81

(धनराशि लाख रूपयें में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	भारत सरकार के पत्र संख्याः डब्लू–11023/01/2011–सी.आर.एस.पी. दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष वांछित राज्यांश की धनराशि का आवंटन	कोषागार को प्रगामी योग
1	2	3	4	5
38	कन्नौज	0	0.00	**0.00**
39	कानपुर देहात	0.09	0.04	**0.04**
40	कानपुर नगर	0.84	0.36	**0.36**
41	कांशीरामनगर	0	0.00	**0.00**
42	कौशाम्बी	0	0.00	**0.00**
43	कुशीनगर	2.09	0.91	**0.91**
44	लखीमपुर खीरी	1.28	0.55	**0.55**
45	ललितपुर	0	0.00	**0.00**
46	लखनऊ	0.26	0.11	**0.11**
47	महामायानगर	0.23	0.10	**0.10**
48	महाराजगंज	0.24	0.10	**0.10**
49	महोबा	0.23	0.10	**0.10**
50	मैनपुरी	0.24	0.10	**0.10**
51	मथुरा	0.39	0.17	**0.17**
52	मऊ	0.52	0.23	**0.23**
53	मेरठ	0	0.00	**0.00**
54	मिर्जापुर	0.42	0.18	**0.18**
55	मुरादाबाद	0	0.00	**0.00**
56	मुजफ्फरनगर	0	0.00	**0.00**
57	पीलीभीत	0.27	0.12	**0.12**
58	प्रतापगढ़	0.09	0.04	**0.04**
59	रायबरेली	1.19	0.52	**0.52**
60	रामपुर	0.32	0.14	**0.14**
61	सहारनपुर	0.1	0.04	**0.04**
62	संतकबीरनगर	0.54	0.23	**0.23**
63	संतरविदासनगर	0.6	0.26	**0.26**
64	शाहजहापुर	0	0.00	**0.00**
65	श्रावस्ती	0.91	0.39	**0.39**
66	सिद्धार्थनगर	0.84	0.36	**0.36**
67	सीतापुर	1.29	0.56	**0.56**
68	सोनभद्र	0.04	0.02	**0.02**
69	सुलतानपुर	0.42	0.18	**0.18**
70	उन्नाव	0.23	0.10	**0.10**
71	वाराणसी	0.46	0.20	**0.20**
	प्रदेश का योग–	**25.96**	**11.24**	

(रूपया ग्यारह लाख चौबीस हजार मात्र)

(मो0 मुस्तफा अन्सारी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।